बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक—12वि0—192 / 2024 -784

पटना, दिनांक—28.5.25

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
बिहार, पटना।

विषयः—विभिन्न विभाग / निगम / कार्यालय से प्राप्त डिबार आदेश / निबंधन रद्द करने / एकरारनामा विखंडन / मुक्त / अग्रधन राजसात् करने के संबंध में।

प्रसंगः— बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश सं0—155 —सह— पठित ज्ञापांक—8646 दि0—10.05.2025, कार्यालय आदेश सं0—158 —सह— पठित ज्ञापांक—4747 दि0—13.05.2025, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश ज्ञापांक सं0—4758 दि0—30.04.2025, ज्ञापांक सं0—4972 दि0—06.05.2025, ज्ञापांक सं0—3601 दि0—01.04.2025, आदेश ज्ञापांक सं0—3803 दि0—03.09.2025, ज्ञापांक सं0—4944 दि0—05.05.2025, ज्ञापांक सं0—4568 दि0—24.04.2025, पथ निर्माण विभाग के आदेश ज्ञापांक सं0—2032 दि0—02.04.2025, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक सं0—740 दि0—21.02.2025, भवन निर्माण विभाग के आदेश ज्ञापांक सं0—3770 दि0—29.04.2025, जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक सं0—1424 दि0—28.03.2025, ज्ञापांक सं0—1456 दि0—02.04.2025, स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के कार्यालय आदेश संख्या—68 सह पठित ज्ञापांक—2392 दि0—08.05.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश / पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0—यथोपरि।

विश्वासभाजन

अभय 28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक—12वि0—192 / 2024 -784 दिनांक—28.5.25

प्रतिलिपि—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक - 784 दि0 - 28.5.25

प्रतिलिपि—विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि संलग्न पत्र / कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अभय 28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Letter(BH)

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय–आदेश

संख्या–188 पटना, दिनांक–10/05/2025

कटिहार जिलान्तर्गत Construction of Group No.-UHSS-51 के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-203 SBD of 2022-23, दिनांक–10.11.2022) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, **Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** को उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला–कटिहार के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि–09.05.2024 से 11 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। तद्‌लोक में उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला–कटिहार द्वारा पत्रांक–119/2025, दिनांक–28.03.2025 के माध्यम से संवेदक, **Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB कंडिका–3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक–2131 दिनांक–13.03.2009 के आलोक मे संवेदक, **Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/- पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः–"**Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** " को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/- 4686 पटना, दिनांक–10/05/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

15 MAY 2025

कार्यालय–आदेश

पटना, दिनांक– 13/05/2025

संख्या– 158

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत Construction of Boundary Wall with Gate of New Allocated Land of Purnea University के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या–201 SBD of 2022-23, दिनांक–10.11.2022) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, **Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** को उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला–पूर्णियाँ के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि–09.11.2023 से 01 वर्ष 05 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। तद्‌लोक में उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला–पूर्णियाँ द्वारा पत्रांक–180, दिनांक–28.03.2025 के माध्यम से संवेदक, **Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB कंडिका–3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक–2131 दिनांक–13.03.2009 के आलोक मे संवेदक, **Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com** को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/- पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः–"**Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com**" को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/- 4747 पटना, दिनांक– 13/05/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

13/5/25
मुख्य अभियंता

40345911/25

(548)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

श्री विकास कुमार पांडेय, (निबंधन संख्याः– 1220038/श्रेणी प्रथम) पताः–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, बेतिया के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरुद्ध दिनांक 27.03.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

22/04/2025

आदेश

ENC (WM)

याचिकाकर्त्ता श्री विकास कुमार पांडेय, पताः–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, बेतिया एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज उपस्थित।

प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के अधीन MMGSUY योजनान्तर्गत निविदा (टेंडर आई0डी0 संख्या–133316) में अपलोड किये गये शपथ–पत्र में बेरोजगार अभियंता श्री **रजनीश कुमार**, पिता–श्री भूषण पाण्डेय, ग्राम–महना, पो0+थाना–चनपटिया जिला–पश्चिम चम्पारण का नाम दिया गया था, जो कि सत्यापन में वर्ष 2022 से **बेगूसराय** जिला के मौजा–जितवारपुर में अमीन के पद पर कार्यरत पाये गये। इस प्रकार उक्त निविदा में फर्जी कागजात अपलोड करने/तथ्यों को छुपाकर निविदा में भाग लेने के कारण संवेदक श्री विकास कुमार पांडेय, (निबंधन संख्याः–1220038/श्रेणी प्रथम) को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण (Blacklist) आदेश के विरूद्ध संवेदक श्री विकास कुमार पांडेय (निबंधन संख्या–1220038), द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि अभियंता श्री रजनीश कुमार संविदा पर अमीन के पद पर बेगूसराय में कार्यरत हैं, जो उनके ग्रामीण है और कभी भी छुट्टी पर आते है तो उनके कार्य को देखते है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संविदा पर कार्यरत कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाते है। उक्त संकल्प की कंडिका–10 में प्रावधान निम्नवत हैः–

"संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।"

पंजी–25/2
14.5.25

संवेदक द्वारा सुनवाई के क्रम में भविष्य में फर्म के पूर्वकालिक अभियंता रखने का उल्लेख करते हुए **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklist) आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री विकास कुमार पांडेय, (निबंधन संख्याः– 1220038/श्रेणी प्रथम) पताः–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, बेतिया को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) करने संबंधी **विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025** को निरस्त **(Set aside)** करते हुए कालीकरण अवधि को 03 वर्षो से घटाकर 03 (तीन) माह किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–13–59/2025 4758 /पटना, दिनांक 30.4.25

निबंधित

प्रतिलिपिः– Vikash Kumar Pandey, At-Mahendra Colony, Banuchhaper, West Champaran, Bihar Pincode-845438 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–13–59/2025 4758 /पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–13–59/2025 4758 /पटना, दिनांक–30.4.25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(543)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी (डीबार एवं काली सूची) ग्रामीण कार्य विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.04.2025

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30.04.2025

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.04.2025

सरकार के अवर सचिव

15

30

4070471/25
मु० अभि० (रूपा०)

अभियंत्रण विभाग
13 MAY 2025
ENC (HQ)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या– 2150504/2151180/2191049/1190561/1240473) ग्राम+ पो0–भेजा, अंचल– मधेपुर, जिला–मधुबनी, पिन–847408 को कार्य प्रमंडल बेनीपुर के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 –एन0डी0बी0 ब्रिक्स योजनान्तर्गत ''राजा खरवार आर0सी0डी0 पथ बजरंगबली मंदिर से महिया उत्तरवारी टोल'' पथ निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या–18/SBD/2023-24) आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 16.03.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.03.2025 है।

संदर्भित पथ निर्माण कार्य की प्रगति एकरारनामा के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपुर का पत्रांक 803 दिनांक 25.09.2024 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए पत्रांक 940 अनु0 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से काली सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुशंसा किया गया।

तदालोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा द्वारा उनके पत्रांक 380 अनु0 दिनांक 11.04.2025 एवं मुख्य अभियंता–06, दरभंगा के पत्रांक 582 अनु0 दिनांक 12.04.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत किए जाने हेतु विहित प्रपत्र में अनुशंसा समर्पित किया गया।

संवेदक **रंजीत कुमार राउत** को कालीकृत किये जाने हेतु प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में विभागीय पत्रांक 786 दिनांक 21.02.2025, पत्रांक 1393 दिनांक 11.04.2025 एवं पत्रांक 4657 दिनांक 28.04.2025 द्वारा निबधित डाक के माध्यम से संवेदक **रंजीत कुमार राउत को** स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किये जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अबतक बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या– 2150504/2151180/2191049/1190561/1240473) ग्राम+ पो0–भेजा, अंचल– मधेपुर, जिला–मधुबनी, बिहार पिन–847408 को एम0एम0जी0एस0वाई0 –एन0डी0बी0 ब्रिक्स योजनान्तर्गत ''राजा खरवार आर0सी0डी0 पथ बजरंगबली मंदिर से महिया उत्तरवारी टोल'' पथ निर्माण कार्य ससमय नहीं किए जाने संबंधी आरोपो को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–03/2025 4972 /पटना, दिनांकः– 6/5/25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(541)

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः– 6/5/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः– 6/5/2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः– 6/5/2025

निबंधित / ईमेल

प्रतिलिपिः– रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या– 2150504 / 2151180 / 2191049 / 1190561 / 1240473) S/O–राम गुलाम राउत ग्राम+ पो0– भेजा, अंचल– मधेपुर, जिला–मधुबनी, पिन–847408, मो0–9931286618, ईमेल –ranjeet301081@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

6/5/25

अभियंता प्रमुख

27 पेज

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–03–51/2024 3601 /पटना, दिनांक– 1.4.25

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत महिषी बार्डर से ठूठा तक पथ निर्माण के क्रम में WBM Gr-III कार्य कराये बिना 2nd on A/C Bill में WBM Gr-III के विरूद्ध 12.01.2019 का भुगतान प्राप्त करने संबंधी आरोपो पर विभागीय पत्रांक 02/अ0प्र0–01–24/2022–621 अनु0 दिनांक 21.02.2024 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्राप्त अनुशंसा के साथ संलग्न अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 4475 अनु0 दिनांक 07.08.2024, पत्रांक 5739 दिनांक 25.09.2024 एवं पत्रांक 8271 दिनांक 16.12.2024 के अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा संवेदक Rajbeer Yadav, At-Baghour Bareta, Post-Maina Gram, Ward No.-03, Ps-Mahishi, District-Saharsa (Bihar) से कारण पृच्छा की गयी।

निगरानी प्रशाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन में अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2019 में WBM Gr-III का कार्य कराये बिना ही 36.98 लाख रूपये का अवैद्य भुगतान संवेदक को किया गया है जबकि उक्त कार्य अप्रैल/मई, 2022 में कराया गया है।

विदित हैं कि उक्त पथ अन्तर्गत WBM Gr-III का कार्य कराये बिना 37.00 लाख भुगतान करने संबंधी परिवाद दिनांक 08.03.2022 की जॉच हेतु अप्रैल, 2022 में PQM को निदेशित किया गया है।

MIS पर uploaded कार्य प्रगति के अनुसार 15 अप्रैल 2020 तक उक्त पथ में मात्र GSB का कार्य ही दर्शाया गया है।

उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि WBM Gr-III का कार्य कराये बिना भुगतान संबंधी परिवाद दायर होने के उपरान्त अप्रैल/मई, 2022 में WBM Gr-III का कार्य कराया गया है। उक्त आरोपो के आलोक में संवेदक राजवीर यादव से निबंधित डाक से की गयी कारण पृच्छा का जवाब अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में राजवीर यादव (निबंधन संख्या- 2210564 Class-II) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपो को प्रमाणित पाते हुए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 का नियम–11 (क) (vi) में विहित प्रावधान के आलोक में राजवीर यादव (निबंधन संख्या- 2210564 Class-II) को 03 वर्षो के लिए कालीकृत (**Blacklist**) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–51/2024 3601 /पटना, दिनांक– 1.4.25

प्रतिलिपि– संवेदक Rajbeer Yadav, At-Baghour Bareta, Post-Maina Gram, Ward No.-03, Ps-Mahishi, District-Saharsa (Bihar) Pincode 852216 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

क0प्र0उ0

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–51/2024 3601 /पटना, दिनांक– 1.4.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–51/2024 3601 /पटना, दिनांक– 1.4.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–51/2024 3601 /पटना, दिनांक– 1.4.25

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (निगरानी शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 621 अनु0 दिनांक 21.04.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–51/2024 3601 /पटना, दिनांक– 1.4.25

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन के पार्टनर श्री अखिलेशवर सिंह (Reg N0-1150043/1200153) पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक–20.01.2025 के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

25.03.2025

आदेश

संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन के पार्टनर–अखिलेश्वर सिंह, पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी उपस्थित।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन MMGSY (NDB) योजनान्तर्गत निविदा Tender ID-2023 ECBIH-124755 में ई0 रवि कुमार गुप्ता को अपने फर्म में कार्यरत बनाने संबंधी शपथ पत्र देने, उक्त निविदा में इ0 रवि कुमार गुप्ता के प्रमाण पत्र का गलत उपयोग करने तथा निविदा में गलत/फर्जी कागजात समर्पित करने संबंधी आरोप तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक–2879 दिनांक–26.12.2024 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन द्वारा ई0 रवि कुमार गुप्ता के प्रमाण पत्र गलत प्रयोग किया गया है, पर सम्यक विचारोपरांत निविदा में गलत/फर्जी कागजात समर्पित करने हेतु दोषी पाते हुए संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन (Reg N0-1150043/1200153) को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–186 दिनांक–10.01.2025 द्वारा 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन पार्टनर–अखिलेशवर सिंह, पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण–845401 द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक–20.01.2025 समर्पित किया गया है।

संवेदक द्वारा उपस्थित होकर तथा अपील अभ्यावेदन के माध्यम से बताया गया कि ई0 रवि कुमार गुप्ता, पिता–श्रीराम कुमार गुप्ता, ग्रा0–मगुराहा, पो0–रामपुर, थाना–चिरैया, पूर्वी चम्पारण को उनके फर्म द्वारा मैटेरियल चोरी के आरोप में निकाला गया था, के द्वारा साजिशन Tender ID-2023 ECBIH-127455 एवं Tender ID-137813 (MMGSY/2024-25 Bet19/01) से उन्हें वंचित करने के लिए उक्त आरोप लगाया गया है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा विभागीय पत्रांक–3730 दिनांक–17.12.2024 के आलोक में उनके पत्रांक–2880 दिनांक–26.12.2024 द्वारा उनसे 03 दिनों के अंदर ई0 रवि कुमार गुप्ता के वेतन संबंधी साक्ष्य की मांग की गयी तथा उसी दिन उनका पक्ष लिये बिना पत्रांक–2879 दिनांक–26.12.2024 द्वारा उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर दिया गया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

मुख्य अभियंता (रूपांकन)
07 APR 2025

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा पत्रांक–367 अनु0 दिनांक–24.02.2025 के माध्यम से उपस्थित होकर बताया गया कि उनके पत्रांक–2880 दिनांक–26.12.2024 के आलोक में मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन द्वारा दिनांक–20.02.2025 को ई0 रवि कुमार गुप्ता का पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित Cash Receipt Voucher एवं ई0 रवि कुमार गुप्ता का शपथ पत्र दिनांक–21.04.2022 जिसमें ई0 रवि कुमार गुप्ता द्वारा मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन में तकनीकी कार्यो हेतु 06 वर्षो से उचित मजदूरी पर देखभाल करने हेतु नियुक्त होने का उल्लेख है, समर्पित किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा उक्त शपथ पत्र का सत्यापन हेतु श्री रमेश प्रसाद सिंह, नोटरी पब्लिक मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को दिये गये पत्र के आलोक में श्री रमेश प्रसाद सिंह, नोटरी पब्लिक द्वारा दिनांक–22.02.2025 को उक्त शपथ पत्र को सत्यापित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है की शपथ पत्र सं0–2545, 2546 दिनांक–21.04.2022 एवं 1130 दिनांक–07.02.2022 उनके रजिस्टर में अंकित है तथा उनके द्वारा किया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत मेसर्स सोलंकी कन्सट्रशन (निबंधन सं0–1150043/1200155) को 04 (चार) वर्षो के लिए Blacklist किये जाने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक–186 दिनांक–10.01.2025 द्वारा को निरस्त (Set aside) करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–13–12/2025 – 3803 /पटना, दिनांकः– 3/4/25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–13–12/2025 – 3803 /पटना, दिनांकः– 3/4/25

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–13–12/2025 – 3803 /पटना, दिनांकः– 3/4/25

प्रतिलिपिः–संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन पार्टनर–अखिलेश्वर सिंह, पता–छोटा बरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन– 845401 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

4070527/25
मु० अमित रूपक

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक– 5.5.25

संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.03.2023 को दुर्व्यवहार, गाली गलौज, पीटने तथा जान से मारने का प्रयास करने, सोने के चेन छीनने, कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज, मापी पुस्त आदि नष्ट करने संबंधी आरोपो के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2310 दिनांक 28.04.2023 द्वारा संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151) को अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"12. We thus modify the order of blacklisting to be operative for 5 years and not 10 years.

13. With the aforenoted modification in the impugned order dated 28.04.2023, the writ petition stands disposed off."

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को याचिका निष्पादित करते हुए संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा के कालीकरण (Blacklist) की अवधि 10 (दस) को घटाकर 05 (पॉच) वर्ष किया गया है।

अतएव सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151) ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा को 10 वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2310 दिनांक 28.04.2023 को संशोधित (Modify) करते हुए आदेश निर्गत की तिथि 28.04.2023 से अगले 05 (पॉच) वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि– संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा, बिहार पिन कोड–852113 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

13 MAY 2025
ENC (HQ)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–132/2024 4944 /पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–132/2024 4944 /पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–132/2024 4944 /पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

कार्य प्रमंडल, बेतिया के अधीन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत टी001 बेतिया से नौतन टेंगरही घाट पथ में अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किए जाने की सूचना इस कार्यालय को प्रदान करते हुए संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा **संवेदक ऋषि बिल्डर्स इंडिया प्रा0 लि0 (निबंधन संख्या–1220123, श्रेणी–प्रथम)** को विभागीय डिफॉल्टर सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी थी, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 566 अनु0 दिनांक 24.01.2023 द्वारा निर्गत डिफॉल्टर सूची के क्रमांक–01 पर उक्त संवेदक का नाम सम्मिलित करते हुए उन्हें अगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था।

पुनः मुख्य अभियंता–05(मुजफ्फरपुर) के पत्रांक 1178 अनु0 दिनांक 22.04.2025, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल बेतिया का पत्रांक 396 अनु0 दिनांक 22.04.2025 एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बेतिया का पत्रांक 535 अनु0 दिनांक 12.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है तथा संवेदक को डिफॉल्टर सूची से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है। प्राप्त प्रस्ताव, अनुशंसा पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों/साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त उक्त संवेदक को डिफॉल्टर सूची से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव **संवेदक ऋषि बिल्डर्स इंडिया प्रा0 लि0 (निबंधन संख्या–1220123, श्रेणी–प्रथम)** को विभागीय पत्रांक 566 अनु0 दिनांक 24.01.2023 द्वारा निर्गत डिफॉल्टर सूची के क्रमांक–01 से विलोपित किया जाता है।

निर्मल कुमार
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–05/2025 4568 पटना, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लाक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लाक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ENC (HQ)

29 APR 2025

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—05 / 2025 4568 पटना, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—05 / 2025 4568 पटना, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—14 / अ0प्र0—14—05 / 2025 4568 पटना, दिनांक 24/04/2025

निबंधित

प्रतिलिपिः—संवेदक **ऋषि बिल्डर्स इंडिया प्रा0 लि0** (निबंधन संख्या—1220123, श्रेणी—प्रथम) पताः—श्रीकृष्ण नगर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण, पिन—845401 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

45 अभियंता प्रमुख P.H.D

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– /पटना, दिनांक........

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना 04 APR 2025

विषय :– अन्य विभागों/निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये/मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/ निगम का नाम	ज्ञापांक/दिनांक	अभ्युक्ति
1	संवेदक, Ragini Enterprises/Prop-Ragini Kumari (Regd No.-2180136) At-Ward No.-01, Po+ Ps-Rajwara, Dist- Begusarai (निबंधन सं0–2180136)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–322 दिनांक–24.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
2	संवेदक, Deepak Kumar Pandit, At+Post-Kishanpur, Ps-Mahalgaon, Dist-Araria (निबंधन सं0–2150364)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–323 दिनांक–24.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
3	संवेदक, Punam Shukla, Bireshwar Prasad Shukla, At-Vill-Khanjahachak Urf Saidpur, Ps- Laalganj, Dist-Vaishali Pin-844121 (निबंधन सं0–3220279)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–486 दिनांक–31.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
4	संवेदक, Jitendra Singh, At+Po-Parsauna, Ps-Sangrampur, Dist-East Champaran, Pin-845417 (निबंधन सं0–2200836)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–411 दिनांक–28.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।

(67)

5	संवेदक, Rajeev Kumar, S/O-Shambhu Nath Chaudhary, Infront of M.I.T Telephone Exchange Gate Main Road, Bairiya Laxmi Chowk, Brahmpura, Dist-Muzaffarpur Pin-842003(निबंधन सं0–4210138)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–412 दिनांक–28.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
6	संवेदक, Sachchidanand Prasad Singh Suman, At-Vill-[illegible] Rewa, Po-Basantpur, Ps-Saraiya, Dist-Muzaffarpur, Pin-843101 (निबंधन सं0–4190060)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–410 दिनांक–28.01.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं०–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका–11(क)(vi) के आलोक में संवेदक को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
7	संवेदक, M/s Sify Digital Service Ltd. Chennai	शिक्षा विभाग	ज्ञापांक–2723 दिनांक–31.12.2024	संवेदक द्वारा विभाग के साथ किये गये एकरारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इस परीक्षा एजेंसी को काली सूची में दर्ज (Black Listed) किया गया है।
8	संवेदक, श्री उपेन्द्र उमेश प्रसाद शर्मा, कोतवाली चौक, अन्नपूर्णा मंदिर, भागलपुर पिन–812001 (सूचीबद्धता सं०–34/2020)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक–63 दिनांक–10.01.2025	संवेदक को 03 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
9	संवेदक, मेसर्स SBD Green Energy and Infra India Pvt. Ltd. 349, Sector-40, Gurugram, Hariyana, Pin-122001(सूचीबद्धता सं०–901/2019)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक–15 दिनांक–03.01.2025	संवेदक को 05 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
10	संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, Po-Alawalpur, Ps-Gaurichak, Dist-Patna, Pin-803203 निबंधन सं०–BCD-Class-II/2230314	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–77 (भ०) दिनांक–02.01.2025	संवेदक को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए निलंबित किया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– 2032(E) /पटना, दिनांक 02.04.25

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/3/2025

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)।

पत्र संख्या–26 / विविध–06–18 / 2024–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज प्रक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज / सिवान, जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान एवं बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, छपरा अंतर्गत (एकरारनामा संख्या–01SBD / 2023–24) सिवान जिले के महाराजगंज, दरौंदा एवं अहलादपुर तथा गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड में छाड़ी नदी पर अवस्थित पुल–पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से संबंधित विभागीय उड़दस्ता का अंतरिम जाँच प्रतिवेदन निगरानी कोषांग के गै0स0प्रे0सं0 120 दिनांक–04.07.2024 द्वारा संवेदक के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त अंतरिम जांच प्रतिवेदन के आलोक में संवेदक मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन से विभागीय पत्रांक 2539 दिनांक 05.07.2024 द्वारा कारण पृच्छा किया गया।

उक्त के आलोक में संवेदक के पत्रांक 099 / H.O / 24–25 दिनांक–19.07.2024 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

कारण पृच्छा प्रत्युत्तर के समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया संवेदक द्वारा कार्य में बरती गयी लापरवाही के आलोक में विभागीय पत्रांक–2757 दिनांक–20.07.2024 द्वारा संवेदक मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, पता–ममका निवास, न्यू एरिया चितौड़ नगर, पोस्ट+ जिला–औरंगाबाद, पिन–824101 (निबंधन सं0–45 / 2015, श्रेणी प्रथम) को विभागीय उड़नदस्ता अंचल–1 से पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय समीक्षोपरान्त अंतिम निर्णय लिये जाने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया गया।

उक्त डिबार आदेश के विरूद्ध संवेदक के पत्रांक–231/H.O/24-25 दिनांक–31.01.2025 द्वारा डिबार के विभागीय निर्णय पर पुनःविचार करते हुए आरोपमुक्त करने का अनुरोध पत्र समर्पित किया गया। संवेदक से प्राप्त पुनःविचार अभ्यावेदन की विभागीय निगरानी से समीक्षा करायी गयी। समीक्षोपरांत संवेदक मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, (निबंधन सं0–45 / 2015, श्रेणी प्रथम) से प्राप्त पुनः विचार अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश सं0–2757 दिनांक–20.07.2024 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, पता–ममका निवास, न्यू एरिया चितौड़ नगर, पोस्ट+ जिला–औरंगाबाद, पिन–824101 को तत्काल प्रभाव से विभागीय आदेश सं0–2757 दिनांक–20.07.2024 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(मनोज रमण)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

(59)

ज्ञापांक : ....पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि :– संवेदक मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन, पता–ममका निवास, न्यू एरिया चितौड़ नगर, पोस्ट+ जिला–औरंगाबाद, पिन–824101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मनोज रमण)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :..........................740............................/ पटना, दिनांक :......21.2.2025..........

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/02/25
(मनोज रमण)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

405453Y/25

आ0सं0:—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—07 / 2024.............................दिनांक—

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

ENC (HQ)

सकारण आदेश

बिहार विद्यालय, परीक्षा समिति, पटना के फेज—II के अन्तर्गत सिन्हा लाईब्रेरी रोड स्थित मुख्य भवन के परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के छत के पर प्री—फैब Structure का एक अतिरिक्त तल का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा में फर्जी / जाली दस्तावेज अपलोड करने कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक—2577 दिनांक—05.07.2024 द्वारा संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO- Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली—2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक—13.09.2024 को अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण / निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया है । तदालोक में विभागीय पत्रांक—8348(भ) दिनांक—17.10.2024 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण का जवाब संवेदक से प्राप्त है।

पुनः दिनांक—17.12.2024 को अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण / निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें संवेदक के स्पष्टीकरण पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को दो वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO- Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या—BCD-Class-II/2230314 को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली—2007 के नियम—11(vii) के तहत विभागीय पत्रांक—77(भ) दिनांक—02.01.2025 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षो के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक अपील अभ्यावेदन दिनांक—19.03.2025 को समर्पित किया गया ।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—5737(s) दिनांक—07.05.2007 के कंडिका—11(घ) में अंकित है कि दिये **गये दण्ड के विरूद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अंदर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जाना है ।**

उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा निर्धारित समय—सीमा के अंदर अपील अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया हैं ।

अतएव दिये गये दण्ड के विरूद्ध संवेदक द्वारा समय—सीमा अंदर अपील दायर नहीं किये जाने के कारण उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। ।

ह0 / —
(कुमार रवि)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—07 / 2024........................ पटना,दिनांक—

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः—संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या—BCD-Class-II/2230314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के सचिव।

(15) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना

(528)

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2024 3770(भ) पटना, दिनांक– 29/4/25

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

3920556/25

पत्र संख्या –26/न0नि0–03–20/2021............./

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री रमेश कुमार,
ग्राम–सुअरमरवा, पो0–पतीला,
मनेर,
पिन कोड–801108

पटना, दिनांक : ....

विषयः– निबंधन संख्या–अभि0प्र0ज0सं0वि0–21/2021(तृतीय श्रेणी) को निरस्त किए जाने के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के आलोक में आपके निबंधन संख्या–अभि0प्र0ज0सं0वि0– 21/2021 (तृतीय श्रेणी) को निरस्त किया जाता है ।

विश्वासभाजन

ह0/–

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार पटना ।

ज्ञापांक :../पटना, दिनांक :...

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता / जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाय ।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :............1524............/पटना, दिनांक :..........28.3.2025..........

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग /नगर विकास विभाग/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं आई0टी0मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

पै0सं0-2324
15.4.25

392034८/25

मु० अभि० (ई०प०)
07/4/25

पत्र संख्या –26 / न0नि0–03–232 / 2022............/

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

DIVETEK UNDER WATER SERVICES
प्रो0–श्री अशोक कुमार यादव,
ग्राम–खुर्दकरमी, पो0–करमी,
थाना–चिरैयाकोट, जिला–मउ
उत्तर प्रदेश
पिन–276129

पटना, दिनांक : ....

विषयः– निबंधन संख्या–अभि0प्र0ज0सं0वि0–226 / 2022(तृतीय श्रेणी) को निरस्त किए जाने के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के आलोक में आपके निबंधन संख्या–अभि0प्र0ज0सं0वि0– 226 / 2022(तृतीय श्रेणी) को निरस्त किया जाता है ।

विश्वासभाजन

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार पटना ।

ज्ञापांक :../ पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता / जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाय ।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक :..................1456.................../ पटना, दिनांक :..02.4.2025........

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग, पटना / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ~~लोक~~ स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं आई0टी0मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/4/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

-2325
15.4.25

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।

कार्यालय आदेश सं0–....68..... / समस्तीपुर, दिनांक–....08/05/2025.../

Sri Chandraket Kumar Singh, Vill- Manlyar, P.O-Mohammadipur, P.S-Mohiuddinagar, Samastipur, Bihar, Mob. 6203626874 के अंतर्गत एकरारनामा सं0– SBD–246 / 2019–20 एवं SBD–247 / 2019–20 के तहत प्रखण्ड–मोहिउदीनगर, पंचायत–दुबहा, क्रमशः वार्ड सं0–05, 04, 06 एवं 13 और वार्ड सं0–05 एवं 11 में नल जल योजना का कार्य आपको आवंटित है, जो मरम्मति एवं संपोषण के अधीन है। उक्त कार्य के संबंध में दुबहा पंचायत के वार्ड सं0–04 एवं 05 में दिनांक–12.03.2025 को सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, दलसिंहसराय के निरीक्षण के क्रम में उपस्थित लाभुकों एवं पम्प चालक द्वारा बताया गया कि योजना लगभग छः माह से बाढ़ के समय से ही अक्रियाशील है। योजना परिसर के अवलोकन से भी स्पष्ट हो रहा है कि योजना का संचालन लम्बे समय से नहीं किया गया है। WTP एवं अन्य अव्यव अव्यवस्थित पाये गये। बेरिंग का मोटर पम्प स्थल पर नहीं पाया गया। वार्ड सं0–05 में स्थल पर उपस्थित लाभुकों द्वारा बताया गया कि योजना लगभग बाढ़ के समय से ही अक्रियाशील है। योजना परिसर में अवैध रूप से योजना के अव्यवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं यथा बैंच, प्लास्टिक, फोम इत्यादि रखा पाया गया। योजना असंतोषजनक स्थिति में पाया गया ।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत निदेशानुसार Sri Chandraket Kumar Singh, Vill- Manlyar, P.O-Mohammadipur, P.S-Mohiuddinagar, Samastipur, Bihar, Mob. 6203626874 जिनका सूचीबद्धता संख्या–1977 (2019) को एकरारनामा संख्या– SBD–246 / 2019–20 एवं SBD–247 / 2019–20 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना "हर घर नल का जल" योजना के अंतर्गत एकरारनामा के शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, दलसिंहसराय का पत्रांक–77, दिनांक–13.03.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर विभागीय आदेश संख्या–6A / वि03–105 / 2020–386, पटना, दिनांक–21.12.2020 द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए संवेदक Sri Chandraket Kumar Singh को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित अर्थात डिबार किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

08/05/25

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।

ज्ञापांक–....2392...... / दिनांक–....08/05/2025
प्रतिलिपि–Sri Chandraket Kumar Singh, Vill- Manlyar, P.O-Mohammadipur, P.S-Mohiuddinagar, Samastipur, Bihar, Mob. 6203626874 को सूचनार्थ प्रेषित।

08/05/25

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।

2573
16.5.25

ज्ञापांक–2392/ दिनांक–08/05/2025
प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ समर्पित।

08/05/25
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।

ज्ञापांक–2392/ दिनांक–08/05/2025
प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ समर्पित।

08/05/25
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।